न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.
अपील संख्या 10/2019 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2019/00010)

रमेश कुमार पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी– बिजारणिया वाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ।

रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार भादाणी – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 25.01.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 30.04.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा स्वीकृत इन्तकाल सं. 07 दिनांक 09.02.1983 चक 1 ए.डब्ल्यू.एस.एम. पं. नं. 136/338 (38) कि नं. 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर हनुमानगढ मे अपील पेश कर इन्तकाल सं. 07 दिनांक 09.02.1983 को खारिज करने का निवेदन किया, जिस पर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.04.2019 अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य न होने से खारिज कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट के नाम तहसील हनुमानगढ के चक 1 ए.डब्ल्यू.एस.एम. पटवार हल्का किशनपुर दिखणादा के पत्र सं. 136/338 में 1.974 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है इस भूमि मे किला नं. 21 ता 25 में रास्ते का अंकन है। इसके बावजूद भी बिना पत्रावली के ए.सी.सी. हनुमानगढ को निर्णय

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अनुसार किला नं. 10, 11, 20 में रास्ता कायम करने के आदेश दिये गये, जिसका इन्तकाल नं. 7 दर्ज किया गया मगर उसका रास्ता राजस्व रिकार्ड में आज दिन तक अंकन नही हुआ, अब उक्त आदेश का इन्द्राज मौजूदा जमाबन्दी व नक्शे में किया जा रहा है जो 12 वर्ष की अवधि से ऊपर है। अधीनस्थ न्यायालय ने तीन बिन्दुओ पर अपना अभीमत देकर अपील खारिज की है ये तीनो बिन्दु टेक्निकल पोईन्ट है। अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर खारिज की गई है जबकि अपीलान्ट ने दरख्वास्त दफा 5 कानून मियाद मे जानकारी की तारीख बताई गई जिसके विरूद्व कोई काऊन्टर शपथ पत्र नही है। केवल यह कहकर उसके पिता व दादा ने दावा किया था इसलिए उसको मानने योग्य नही है। विधि का यह सर्वसम्मत सिद्धांत है कि कोई आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाट को नोटिस व सूचना दी जानी आवश्यक है एसीसी हनुमानगढ द्वारा आदेश पारित किया है वो बिना पत्रावली के पारित किया गया ऐसा आदेश आई ऑफ लॉ अपीलान्ट पर बाध्यकारी नही है। इस कारण इस आदेश से जो इंतकाल चढाया गया वो विधि सम्मत नही है। मुरब्बे मे एक ही रास्ता दिया जा सकता है। अपीलान्ट की भूमि मे किला नं. 21 ता 25 में रास्ता है इस कारण दूसरा रास्ता नही दिया जा सकता है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल दर्ज करने से पूर्व कोई नोटिस व सूचना नही दी गई तथा ना ही उसकी विधिवत रूप से तामिल करवाई गई। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक भी अवसर नही देकर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो को उल्लधन किया है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इन्तकाल सं. 07 दिनांक 09.02.1983 एव अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ का आदेश दिनांक 30.04.2019 खारिज किया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। उक्त अपील में अपीलान्ट के स्थगन प्रार्थना पत्र को दिनांक 09.07.2019 को खारिज किया गया जिसके

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरूद्व अपीलान्ट ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी एल.आर.संख्या 3768/2019 हनुमानगढ प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 25.07.2019 को विवादित आराजी में मौके एवं राजस्व की मण्डल की नियत दिनांक तक यथास्थिति बनाई रखी जाने के आदेश पारित किये गये जो वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में लंबित है। क्योकि यह निगरानी अन्तरिम आदेश के विरूद्व प्रस्तुत हुई है ऐसी स्थिति में मूल अपील के विचारण/निर्णय पर प्रभावी नही है।

7. प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 30.04.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जो कि चक 1 ए.डब्ल्यू.एस. एम. पं. नं. 136/338 के किला नं. 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा हेतु दर्ज नामान्तकरण सं. 07 दिनांक 09.02.1983 के विरूद्व प्रस्तुत की गई, उक्त नामान्तकरण ए.सी.सी. हनुमानगढ के आदेश दिनांक 02.01.83 की पालना में स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने तथा नामान्तकरण सं. 07 दिनांक 09.02.1983 के विरूद्व प्रथम अपील दिनांक 27.08.2018 को प्रस्तुत की गई जो कि दिनांक 12.09.2018 को दर्ज हुई, जो स्पष्ट रूप से मियाद बाहर होने के आधार पर खारिज की है, साथ ही नामान्तकरण सं. 07 दिनांक 09.02.1983 ए.सी.सी. हनुमानगढ के आदेश दिनांक 02.01.83 की पालना में दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है इसलिए मूल आदेश के विरूद्व अपील पेश नही होने के कारण नामान्तकरण सं. 07 दिनांक 09.02.1983 के विरूद्व प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नही है, इसलिए अपीलाधीन निर्णय मे किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 25.01.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर